79

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1024–तीन/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश, दिनांक 9–7–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 611/2005–06 अपील

बिनोदकुमार जैन पुत्र प्रेमनारायण जैन
निवासी भैसाखाना सतना तहसील
रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ––आवेदक

विरूद्व

1– नंदकिशोर पुत्र प्रेमश्याम
2– वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्यामलाल लड़िया
3– श्रीमती शिवकली पत्नि स्व.श्यामलाल लड़िया
4– धीरेन्द्र कुमार पुत्रश्यामलाल लड़िया
सभी ग्राम अमोधा तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आजज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 611/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–7–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त रैगॉव ने प्रकरण

कमांक 108 अ–6/2004–05 में पारित आदेश दिनॉक 30–9–2005 से भूमि सर्वे कमांक 66 रकबा 2–90 एकड़ पर आवेदक का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 8/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–4–2006 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 611/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–7–2008 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–972005 से भूमि सर्वे कमांक 66 रकबा 2–90 एकड़ पर आवेदक का नामान्तरण इस आधार पर किया है कि व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 56 ए 89 में पारित आदेश दिनांक 18–12–1996 से अनावेदकगण के हित में हुआ एकपक्षीय निर्णय निरस्त होने से भूमि आवेदक के हित में वापिस हुई है और इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने नायव तहसीलदार के निर्णय को सही मानते हुये आदेश दिनांक 18–4–2006 से अपील निरस्त

की है जबकि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 व्दारा आदेश दिनांक 18–12–1996 से पूर्व में पारित डिक्री दिनांक 14–11–90 निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः सुनवाई में लेकर कार्यवाही प्रारंभ की है जिसके कारण वाद विचारित भूमि पूर्ववत् आवेदक के पक्ष में वापिस होना विचारित रहने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनॉक 9–7–2008 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है क्योंकि व्यवहार न्यायालय से जो भी अंतिम आदेश होंगे वह राजस्व न्यायालय पर एंव हितबद्व पक्षकारों पर बाध्यकर रहेंगे।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 611/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–7–2008 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर